न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2017 G.C.M.S. No 2017/00264 दर्ज दिनांक 31.05.2017

अपीलार्थिगण:

1. वगताराम पुत्र मेगाजी, जाति कलबी, निवासी गांग, तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सोमा पुत्र सकाजी
2. रूडा पुत्र सकाजी
3. जेता(फौत) के का.मु.
   - 3.1 कानाराम पुत्र जेताराम
   - 3.2 बालूराम पुत्र जेताराम
4. मेगाराम(फौत) के का. मु.
   - 4.1 रतनाराम पुत्र मेगाराम
   - 4.2 जोराराम पुत्र मेगाराम

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2005 बअनवान वगता बनाम जेता में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जगदीश गोदारा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक: 28.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2005 बअनवान वगता बनाम जेता में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत विभाजन खातेदारी एवं हक खातेदारी का पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी अपीलांट के हक में दिनांक 05.06.2007 को निर्णय देकर डिक्री जारी की थी। जिसके खिलाफ प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश की। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.12.2011 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की अपील आंशिक स्वीकार पत्रावली को रिमाण्ड किया गया तथा तनकीवार पक्षकार को साक्ष्य सबुत का मौका देकर पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय देने का निर्णय दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाडे के तथ्यो को मध्यनजर नहीं रखा तथा ना ही समानता का भाव रखा। अधीनस्थ न्यायायल ने सभी चारो पक्षकारो को समान रूप से जमीन नहीं दी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार वादी अपीलांट संख्या 01 को सिर्फ 6.06 हैक्टर आराजी दी गयी तथा वादी अपीलांट संख्या 02 को सिर्फ 6.28 हैक्टर भूमि दी गई जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को 8.04 हैक्टर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को 6.86 हैक्टर आराजी दी गई, जबकि नियमानुसार सभी पक्षकारो का उपरोक्त आराजी पर समान रूप से 1/4, 1/4 हिस्सा बनता था। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम विरूद्ध जाकर अपीलांट को केवल 12.34 हैक्टर आराजी ही दी जबकि रेस्पोडेन्ट को कुल 14.90 हैक्टर आराजी दे दी यानि रेस्पोडेन्टगण को अपीलांटगण से कुल 2.56 हैक्टर यानि 16 बीघा आराजी बिना किसी आधार के ज्यादा दे दी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.10.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसमें खसरा नम्बर व रकबा सही नहीं थे तथा दो खसरा नम्बर निर्णय में अंकित नही थे जिसके कारण उपरोक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण तथा अपुर्ण होने से स्वतः खारिज था। तहसीलदार रानीवाड़ा के द्वारा दिनांक 02.02.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट होने पर मातहत न्यायालय उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन बिना पक्षकारो को सुने एवं बिना नोटिस दिए, बिना ही अपनी ऑर्डरशीट में संसोधन करने का आदेश दे दिया जो कि विधिपुर्ण नहीं था। मियाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांट वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02. 2017 को निर्णित कर अन्तिम डिक्री पारित की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 02.05.2017 को रेस्पोडेन्टगण के द्वारा जबरन अपीलांटगण की कब्जासुदा आरजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और अपीलांटगण को कहा कि मेरे हक में ज्यादा जमीन का फैसला करवा दिया है जिस पर दिनांक 03.05.2017 को नकले लेने हेतु गया। जो नकले जो नकले मुझे दिनांक 03.05.2017 को प्राप्त हुई। जिसमें निर्णय की जानकारी दिनांक 02.05.2017 को होने पर निर्णय के ज्ञान से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी

अवसर दिया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से विलंब कारित नहीं होकर विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

3. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्व रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मौजा मांग के खसरा संख्या 691, 692, 694, 684, 705, 682, 683, 688 693 के विधिवत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26.10.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई । इसके पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा प्रकरण में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर सम्बंधित तहसीलदार द्वारा पटवारी से मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई गई। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके का सत्यापन कर तैयार नहीं की गई है, बल्कि सम्बंधित हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है। यह भी दर्शित होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के वक्त उपस्थिति हेतु कोई नोटिस भी जारी किया जाना अभिलेख से प्रकट नहीं होता है।

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा बनाये गए है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 में तहसीलदार स्वयं भूमि के विभाजन के प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर व सील के द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तैयार करना होता है। न्यायालयों को पटवारी/नायब तहसीलदार/लैण्ड रिकार्ड निरीक्षक द्वारा तैयार किए गए विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अंतिम डिक्री पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

5. उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने स्वयं मौके पर न जाकर पटवारी से प्रस्ताव तैयार कराये है। बंटवारे के वाद पत्र में सभी खातेदारों के हिस्सों को ध्यान में रखते हुए सभी खातेदारों के आने जाने हेतु रास्ते को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करना होता है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना अपेक्षित होती है । हस्तगत प्रकरण में पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए है जिस पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर है।

6. हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर नये सिरे से विधिसम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2005 बअनवान वगता बनाम जेता में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में धारा 53 राजस्थान अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के मुताबिक उभय पक्षों को सूचना देते हुये मौके पर स्वयं तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट तैयार करवा कर विधिनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 09.03.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बागौड़ा में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner